झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

संख्या......702...... राँची, दिनांक......02/06/2017......

''झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा /सम्वर्ग (समूह–'ग' के अधीन अराजपत्रित पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2008 एवं संशोधित नियमावली, 2008 में संशोधन''

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा /सम्वर्ग के समूह 'ग' के अधीन अराजपत्रित पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :–**

(क) यह नियमावली ''झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा / सम्वर्ग (ग्रुप–'ग' के अधीन अराजपत्रित पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) **नियमावली–2008 एवं संशोधित नियमावली, 2008 में संशोधन कहलाएगी।**

(ख) यह नियमावली 'झारखण्ड राजपत्र' में उसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ :–** इन नियमों में जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, झारखण्ड के राज्यपाल।

(ख) ''समिति'' से अभिप्रेत है, विनिर्दिष्ट सदस्यों से मिलकर सरकार द्वारा निर्धारित पदोन्नति समिति।

(ग) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण झारखण्ड, राँची।

(घ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के सम्बन्ध में यथा उल्लेखित ''अनुसूचित जाति''।

(ड) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के सम्बन्ध में यथा उल्लेखित ''अनुसूचित–जनजाति''

(च) ''अन्य पिछड़े वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना जो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए हो।

(छ) '' सेवा'' से अभिप्रेत है, ''झारखण्ड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा / सम्वर्ग (ग्रुप 'ग' के अधीन अराजपत्रित पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) **नियमावली–2008 एवं संशोधित नियमावली, 2008 में संशोधन।**

(ज) '' प्रतियोगिता परीक्षा'' से अभिप्रेत है, भर्ती के लिए नियम–6 के अधीन आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा।

(झ) ''आयोग'' से अभिप्रेत है, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग या समतुल्य संस्था।

(ट) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इस नियमावली के साथ में संलग्न अनुसूची।

(ठ) '' समूह 'ग' के पदों '' से अभिप्रेत है कोई ऐसा पद, जिसका वेतन अथवा जिसके वेतनमान का अधिकतम 4000/– रूपये से अधिक परन्तु 9,000/– रूपये से कम हो।

702
02/06/2017

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति** :– झारखण्ड राज्य में राजकीय सेवा / सम्वर्ग के लिए गठित एवं प्रवृत सामान्य नियम में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले विना ये नियम सेवा / सम्वर्ग के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन** :– सेवा / सम्वर्ग में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात :–
   1. वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारम्भ होने के समय अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद मूलरूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों।
   2. वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्त्ती किए गए हो, और
   3. वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधो के अनुसार सेवा मे भर्ती किए जायेंगे।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि** :– सेवा /सम्वर्ग में सम्मिलित पद उनका वर्गीकरण तथा उनके वेतनमान अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा। साथ ही इन पदो के लिए समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा स्वीकृत वेतनमान् लागू होंगे।

6. **चयन की प्रक्रिया** :–
सेवा में चयन निम्नलिखित तरीकों से किया जाएगा, अर्थात
(क) i) ***''झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्राप्त मेधा–सूची के अनुसार की जाएगी'',***
ii) ''राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु चयन में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन व्यवसायवार किया जाएगा। व्यवसाय से तात्पर्य होगा महानिदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा विर्निदिष्ट वैसे तकनीकी एवं गैर तकनीकी व्यवसाय जिसमें वर्त्तमान में राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जा रहा हो अथवा वैसे व्यवसाय जिनमें भविष्य में राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देना प्रस्तावित हो''
iii) ''महानिदेशालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एन0सी0भी0टी0 (NCVT) पाठ्क्रम के अन्तर्गत निर्धारित सिलेबस के आधार पर परीक्षा आयोजित की जाएगी''

(ख) सेवा / सम्वर्ग के सदस्यों की विभागीय पदोन्नति द्वारा।

2- इस नियमावली के अधीन यथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सरकार द्वारा स्वीकृत पदो के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्ति /प्रोन्नति की जाएगी।

3- इन नियमों के उपबंधों के रहते हुए, सेवा / सम्वर्ग में किसी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जिसको या जिनको भर्त्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके से भर्त्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार से परामर्श करके प्रत्येक अवसर पर अवधारित की जायेगी।

4- सेवा में भर्त्ती करते समय ''झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 (यथा अद्यतन संशोधित)'' के प्रावधान तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले निदेश अनिवार्य रूप से लागू होंगे।

702
02/06/2017

5- सेवा में वर्ग 3 के तकनीकी / गैर तकनीकी पदो के लिए चयन नियम 6 के अनुसार किया जायेगा।

6- सेवा में पदों पर नियुक्ति :– i) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा / सम्वर्ग में समस्त नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीके में से किसी एक तरीके से चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी अन्यथा नहीं।

7. **सीधी भर्ती की पात्रता की शर्त्तें**:– परीक्षा में भाग लेने का पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्त्तें पूरी करनी होगी अर्थात्

1. **आयु– अधियाचना वर्ष की 1ली अगस्त को आयु की गणना की जाएगी तथा नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयुसीमा 21 (ईक्कीस) वर्ष एवं अधिकतम आयुसीमा सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश के आलोक में होगी।**

2- **शैक्षणिक अर्हताएँ**– अभ्यार्थी को सेवा के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता वही होगी जो अनुसूची में दर्शायी गयी है।

3- **फीस** – अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई फीस का भुगतान करना होगा।

8. **निरर्हताएँ** :– अभ्यर्थी द्वारा किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के लिए की गई संयाचना या कोई भी प्रयत्न उनकी अयोग्यता समझा जायेगा।

9. अभ्यर्थियों की पात्रता एवं अपात्रता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

10. सीधी भर्त्ती के लिए उपलब्ध रिक्त पदो के लिए सरकार द्वार निर्धारित आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों कि लिए आरक्षित रखे जायेंगे। नियुक्ति के समय सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन पद आधारित आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

11. वर्ग 3 के पद राज्य स्तरीय पद हैं जिसके लिए राज्य स्तरीय मेधा सूची तैयार की जाएगी।

12. अभ्यर्थियों से आवेदन विज्ञापन प्रकाशन कर आमंत्रित किये जायेंगे।

13. केन्द्र /राज्य सरकार में कार्यरत उम्मीदवार अपने नियोजक के माध्यम से अनुसूची में दर्शायी गयी शर्त्त के अनुरूप आवेदन दे सकते हैं।

14. अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची :–

1. यदि नियुक्ति प्राधिकारी सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो नियुक्ति प्राधिकारी प्रस्तावित परिवर्तन की जानकारी सरकार को देगा तथा सूची को अन्तिम रूप से सरकार के परामर्श से अनुमोदित कर सकेगा।

702
02/06/2017

2. सूची में किसी अभ्यार्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया से सन्तुष्ट न हो लें।
3. नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा चयनित अभ्यार्थियों के सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर ही नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाएँगे।

15. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :–

1. चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग अन्तर्गत आने वाले पदों पर नियुक्तियाँ उसी क्रम से की जायेगी, जिस क्रम से ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में हों।

2. किसी ऐसे व्यक्तियों को, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्त किए जाने के लिए पुर्नविचार करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आई हो जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी हो जिसके कारण वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया हो।

16. पदोन्नति :–

1. पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति सरकार के द्वारा निर्धारित विभागीय पदोन्नति समिति करेगी। यह प्रोन्नति सरकार द्वारा निर्धारित विभागीय समिति द्वारा की जायेगी।
2. आरक्षित पदों पर पदोन्नति करने के लिए प्रक्रिया सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।
3. चयन समिति से अनुशंसित अभ्यार्थियों की पदोन्नति पर सरकार का अनुमोदन अनिवार्य होगा।

17. पदोन्नति के लिए पात्रता सम्बनधी शर्तें :–

समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामले पर विचार करेगी, जिन्होंने पद पर योगदान की तिथि, को कम से कम उतने वर्षों की सेवा, पूरी कर ली हो जो अनुसूची में दर्शाया गया है।

18. पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की सूची तैयार किया जाना :–

1. समिति ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी जो नियम 13 में विहित शर्त्तो को पूरा करते हों।
2. चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी के पद पर प्रोन्नति सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के अधार पर की जायेगी शेष पदों पर पदोन्नति ज्येष्ठता सह उपयुक्तता पर आधारित होगी।
3. सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों के नाम, ऐसी प्रत्येक चयन सूची को तैयार करते समय यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंग।

V

702
02/06/17

19. पदोन्नति चयन सूची :–

1. नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति हेतु निर्धारित अहर्त्ता के संबंध में प्राप्त अभिलेख के आलोक में सूची तैयार करेंगे।

2. यदि नियुक्ति प्राधिकारी सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो नियुक्ति प्राधिकारी प्रस्तावित परिवर्तन की जानकारी सरकार को देगा तथा सूची को अन्तिम रूप से सरकार के परामर्श से अनुमोदित कर सकेगा।

3. चयन सूची सामान्यतः तब तक प्रवृत रहेगी जब तक कि उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी कर्मी की ओर से आचरण या कर्त्तव्यों का पालन में गंभीर चूक होने की दशा में, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन नियुक्ति पदाधिकारी के अनुरोध पर किया जा सकेगा यदि वह उचित समझे ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

20. **परिवीक्षा :–** सेवा में सीधी भर्त्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

21. **सामान्य :–** यदि इन नियमों के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा। जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदश से,

30/5/17

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–5 / प्रशि0(नियुक्ति)–II–237 / 2010 702 राँची, दिनांक 02/06/17 /

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि इस अंक की 200 (दो सौ) प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावें।

30/5/2017

सरकार के सचिव

VI

ज्ञापांक–5 / प्रशि0(नियुक्ति)–II–237 / 2010......702...... राँची, दिनांक......02/06/2017....../
प्रतिलिपिः–निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची / सभी संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण (मुख्यालय सहित) / सभी उप–निदेशक, प्रशिक्षण (मुख्यालय सहित) / सभी सहायक निदेशक प्रशिक्षण (मुख्यालय सहित) / निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण के सभी पदाधिकारी एवं सहायक / सभी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (लघु एवं महिला सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/5/2017

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–5 / प्रशि0(नियुक्ति)–II–237 / 2010......702...... राँची, दिनांक......02/06/17....../
प्रतिलिपिः–माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव / माननीय मंत्री (श्रम) के आप्त सचिव / मुख्य सचिव के सचिव / विभागीय सचिव के सचिव / उप–सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची / उप–सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/5/2017

सरकार के सचिव

702
02/06/2017

VII

अनुसूची

क्र.	पदनाम एवं वेतनमान्	सीधी नियुक्ति एवं प्रोन्नति का क्रमशः अनुपात	सीधी नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता/ अनुभव	प्रोन्नति हेतु कालावधि एवं शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4	5
1	व्यवसाय अनुदेशक /ड्राईंग अनुदेशक /गणित अनुदेशक वेतनमान्– 5000–8000/–	सीधी नियुक्ति 100% प्रोन्नति– शून्य	**1.<u>व्यवसाय अनुदेशक के लिए अपेक्षित योग्यता</u>–** क) प्रवेशिकोर्त्तीण ख) संबंधित व्यवसाय से आई0टी0आई0 उर्त्तीण अथवा संबंधित शाखा में डिप्लोमा / डिग्री ग) पाँच वर्ष का अनुभव (मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रतिष्ठान से अथवा राज्य या केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त तकनिकी संस्थान) नोट–आई0टी0आई0 / डिप्लोमा / डिग्री की अध्ययन अवधि की गणना अनुभव के रूप में की जायेगी। 2.**<u>ड्राईंग अनुदेशक</u>** के लिए आपेक्षित योग्यता– क) प्रवेशिकोर्त्तीण ख) इंजिनियरिंग की किसी भी विद्या में डिप्लोमा / डिग्री। ग) प्रशिक्षण अवधि सहित पाँच वर्ष का अनुभव (मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रतिष्ठान से अथवा राज्य या केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त तकनिकी संस्थान) नोट–(i)आई0टी0आई0 / डिप्लोमा /डिग्री की अध्ययन अवधि की गणना अनुभव के रूप में की जायेगी। 3.**<u>गणित अनुदेशक</u>** के लिए आपेक्षित योग्यता – क) प्रवेशिकोर्त्तीण ख) इंजिनियरिंग की किसी भी विद्या में डिप्लोमा / डिग्री। ग) प्रशिक्षण अवधि सहित पाँच वर्ष का अनुभव (मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रतिष्ठान से अथवा राज्य या केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त तकनिकी संस्थान) नोट– आई0टी0आई0/ डिप्लोमा /डिग्री की अध्ययन अवधि की गणना अनुभव के रूप में की जायेगी।	

702
02/06/2017

			4.स्टेनोग्राफी अनुदेशक के लिए आपेक्षित योग्यता– क) प्रवेशिकोर्त्तीण ख) संबंधित व्यवसाय से आई0टी0आई0 उर्त्तीण या समकक्ष ग) प्रशिक्षण अवधि सहित पाँच वर्ष का अनुभव (मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रतिष्ठान से अथवा राज्य या केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त तकनिकी संस्थान) नोट– आई0टी0आई0 / डिप्लोमा / डिग्री की अध्ययन अवधि की गणना अनुभव के रूप में की जायेगी। घ) आशुलिपि में 120 शब्द प्रति मिनट। अंग्रेजी एवं हिन्दी टंकण में क्रमशः 40 एवं 30 शब्द प्रति मिनट की गति। ड़) अंग्रेजी की अच्छी जानकारी और हिन्दी भाषा की दक्षता अनिवार्य है।	
2.	मुख्य अनुदेशक वेतनमान्– 5500–9000/–	सीधी नियुक्ति–शून्य प्रोन्नति–100%	–	अनुदेशक के पद पर पाँच वर्ष का अनुभव
3	सहायक अधीक्षक वेतनमान् – 5500–9000/–	सीधी नियुक्ति–50% प्रोन्नति–50%	क) प्रवेशिकोर्त्तीण ख) डिप्लोमा अथवा डिग्री (किसी भी विद्या में) इन इंजिनियरिंग ग) डिप्लोमा एवं डिग्री धारकों को क्रमशः तीन एवं दो वर्ष का किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रतिष्ठान एवं तकनिकी प्रशिक्षण संस्थान का अनुभव।	मुख्य अनुदेशक के पद पर पाँच वर्ष कार्य करने का अनुभव
4	मोटर चालक अनुदेशक वेतनमान्– 3050–4590/–	सीधी नियुक्ति 100% प्रोन्नति–शून्य	क) प्रवेशिकोर्त्तीण ख) हेभी ड्राईविंग लाईसेंस प्राप्त।	

30/5/2017

सरकार के सचिव

702
02/06/2017

IX

5	निम्नवर्गीय **लिपिक** वेतनमान्– 3050–4590 / –	सीधी **नियुक्ति** 100 %	क) प्रवेशिकोत्तीर्ण **ख) टंकण अनुभव** ग) कम्प्यूटर टाईपिंग का अनुभव (हिन्दी में 25 शब्द प्रतिमिनट) (अंग्रेजी में 30 शब्द प्रतिमिनट)	
6	उच्चवर्गीय लिपिक वेतनमान्– 4000–6000 / –	सीधी नियुक्ति 50 % प्रोन्नति 50 %	क) स्नातक उत्तीण एवं समकक्ष। ख) टंकण अनुभव ग) कम्प्यूटर टाईपिंग का अनुभव (हिन्दी में 25 शब्द प्रतिमिनट एवं अंग्रेजी में 30 शब्द प्रतिमिनट)	निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर आठ वर्ष कार्य करने का अनुभव

30/5/2017

सरकार के सचिव